न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

अपील संख्या 124/2017

अपीलांट बनाम रेस्पोडेंट

सज्जनसिंह पुत्र हुकमसिंह
जाति राजपूत निवासी लीलरिया
धोरा सरदारपुरा वार्ड संख्या 01 बाड़मेर

लोक सूचना अधिकारी,
अपर कलक्टर,बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

निर्णय दिनांक 22.01.2018

1. अपीलांट से यह अपील लोक सूचना अधिकारी–अपर कलक्टर बाड़मेर से चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत हमारे समक्ष पेश की हैं।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर,बाड़मेर को आवेदन पत्र प्रेषित कर आवेदन पेश कर तहसील चौहटन पटवार क्षेत्र, आकोड़ा राजस्व ग्राम आकोड़ा, खेत खसरा नम्बर 150 वक्त सेटलमेंट नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। अपीलांट का यह कथन है कि लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर बाड़मेर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसलिये अपीलांट को सूचना उपलब्ध कराई जाए।
3. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट को जवाब हेतु नोटिस जारी किया। जवाब में यह बताया कि वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी गई है।
4. हमने अपील पत्रावली एंव रेस्पोडेंट से प्राप्त जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तहसील चौहटन पटवार क्षेत्र, आकोड़ा राजस्व ग्राम आकोड़ा, खेत खसरा नम्बर 150 वक्त सेटलमेंट नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी।लोक सूचना अधिकारी,अपर कलक्टर, बाड़मेर से प्राप्त जवाब अनुसार वांछित सूचना अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलांट को उसके द्वारा आवेदित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। वस्तुतः अपीलांट ने उक्त सूचना प्रेषण के उपरान्त किसी प्रकार का कोई प्रतिकार प्रेषित नहीं किया है और अपील पेश करने के पश्चात् अपना पक्ष रखने के लिये उपस्थित नहीं हुए है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

5. इस आलोक में, वर्तमान अपील में अब अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं देखते हुए,यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपीलांट की अपील उक्तानुसार खारिज की जाती है।

7. निर्णय की प्रतियां उभय पक्ष को प्रेषित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner